राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल अपील संख्या 11237/2024

1. राजीव सिडाना पुत्र श्री किशन सिडाना, उम्र लगभग 44 वर्ष साल, निवासी 36, सी ब्लॉक, करणपुर, श्रीकरणपुर, गंगानगर, राजस्थान।
2. आशा रानी पुत्री श्री कन्हैया लाल राठौड़, उम्र लगभग 50 वर्ष साल, निवासी खेड़े गणेश जी रोड, कबीर आश्रम के पास, रंगबाड़ी, कोटा, राजस्थान।

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, (सार्वजनिक स्वास्थ्य), निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान, जयपुर राजस्थान।
3. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, सेक्टर-18, कुंभा मार्ग, प्रतापगढ़, जयपुर, राजस्थान।
4. समन्वयक, चिकित्सा अधिकारी एवं दंत चिकित्सा भर्ती-2024 राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, सेक्टर-18, कुंभा मार्ग, प्रतापगढ़, जयपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	श्री वीएलएस राजपुरोहित (वीसी माध्यम से)
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री एन.एस. राजपुरोहित, एएजी सुश्री अनिता राजपुरोहित एवं श्री शेर सिंह राठौड़ के साथ

माननीय श्री न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर

आदेश

रिपोर्ट करने योग्य

05/08/2024

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर की गई है:-

> "i. उचित रिट आदेश या निर्देश द्वारा, प्रतिवादियों को कृपया निर्देशित किया जाए कि वे अधिसूचना संख्या 48809/2024 दिनांक 06.03.2024 (अनुलग्नक-5) के अनुसरण में चिकित्सा अधिकारी (दंत) के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया में याचिकाकर्ताओं को अधिकतम 30% बोनस अंक प्रदान करें और यदि याचिकाकर्ता मेरिट में आते हैं, तो उन्हें सभी परिणामी लाभों के साथ 30% बोनस अंक प्रदान करने के बाद चिकित्सा अधिकारी (दंत) के पद पर नियुक्ति प्रदान करें।"

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादियों ने चिकित्सा अधिकारी (दंत) के पद पर नियुक्ति के लिए दिनांक 06.03.2024 को अधिसूचना जारी की है। उक्त अधिसूचना में चिकित्सा अधिकारी (दंत) के पद को भरने के लिए बोनस अंक देने का कोई प्रावधान निर्धारित नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी विभाग में काफी लंबी अवधि से विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं और इसलिए वे अपनी सेवाओं की अवधि के लिए बोनस अंक पाने के हकदार हैं। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने कहा कि वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में बोनस अंक प्रदान न करना अन्य अधिसूचनाओं की तुलना में भेदभावपूर्ण है, जिसमें राज्य आमतौर पर उम्मीदवारों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए बोनस अंक प्रदान करने का प्रावधान करता है। इसलिए, वह प्रार्थना करते हैं कि रिट याचिका को अनुमति दी जाए और याचिकाकर्ताओं को चिकित्सा अधिकारी (दंत चिकित्सा) के पद पर नियुक्ति के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार करते समय 30% बोनस अंक दिए जाएं।

4. इसके विपरीत, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों का पुरजोर विरोध किया और कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में उन अभ्यर्थियों को बोनस अंक दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है, जिन्होंने राजस्थान राज्य के विभिन्न संगठनों या विभागों में चिकित्सा अधिकारी (दंत) के रूप में कार्य किया है।

5. विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने आगे कहा कि बोनस अंक दिए जाने के लिए कोई नियम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है कि वह किसी विशेष पद पर अभ्यर्थियों द्वारा की गई सेवाओं के लिए बोनस अंक दे या नहीं, यह उस सेवा की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है, जिसके लिए भर्ती की जानी है। चूंकि राज्य सरकार ने वर्तमान मामले में चिकित्सा

अधिकारी (दंत) के पद पर कार्य करने के अनुभव के लिए बोनस अंक देना व्यवहार्य नहीं माना है, इसलिए वर्तमान अधिसूचना में इसका प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए, वह प्रार्थना करते हैं कि रिट याचिका को खारिज कर दिया जाए।

6. मैंने बार में प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार किया है तथा मामले के प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन किया है।

7. याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार में चिकित्सा अधिकारी (दंत) के पद पर उनके द्वारा की गई सेवाओं पर बोनस अंक दिए जाने की प्रार्थना इस आधार पर की है कि अधिसूचना में बोनस अंक दिए जाने का प्रावधान नहीं है, जो अन्य भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित है।

8. न्यायालय के प्रश्न पर याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने उचित रूप से प्रस्तुत किया कि यद्यपि वर्तमान भर्ती में बोनस अंक दिए जाने के लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन राज्य सरकार ने अन्य पदों पर भर्ती के लिए जारी अधिसूचना में सामान्यतः अभ्यर्थियों द्वारा की गई सेवाओं के लिए बोनस अंक दिए जाने का प्रावधान किया है, इसलिए वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में इसे प्रदान न करना स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण है।

9. यह विधि का स्थापित प्रस्ताव है कि किसी विशेष पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी की पात्रता की शर्तें निर्धारित करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है तथा इसके लिए नियम बनाना भी राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। यदि राज्य सरकार ने चिकित्सा अधिकारी (दंत चिकित्सा) के पद पर याचिकाकर्ता जैसे व्यक्तियों द्वारा की गई सेवाओं के लिए कोई बोनस अंक प्रदान न करने का विकल्प चुना है, तो इसे केवल इस आधार पर भेदभावपूर्ण नहीं माना जा सकता कि अन्य भर्ती प्रक्रियाओं में राज्य सरकार सामान्यतः बोनस अंक प्रदान करती है। किसी विशेष भर्ती में बोनस अंक प्रदान करना या न देना राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है तथा इसमें तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जब तक कि यह स्पष्ट रूप से मनमानी या मनमाना न हो।

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कृष्णन कक्कंथ बनाम केरल सरकार एवं अन्य के मामले में (1997) 9 एससीसी 495 में रिपोर्ट की गई टिप्पणी इस प्रकार है:

> "36. संविधान के अनुच्छेद 14 के संदर्भ में अनुचितता और मनमानी का पता लगाने के लिए, राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय में बुद्धिमत्ता का पता लगाने के लिए किसी भी अभ्यास में प्रवेश करना आवश्यक नहीं है। यह महत्वहीन है कि क्या बेहतर या

अधिक व्यापक नीतिगत निर्णय लिया जा सकता था। यह भी उतना ही महत्वहीन है यदि यह प्रदर्शित किया जा सके कि नीतिगत निर्णय नासमझी भरा है और उस उद्देश्य को विफल करने की संभावना है जिसके लिए ऐसा निर्णय लिया गया है। जब तक नीतिगत निर्णय स्पष्ट रूप से मनमाना न हो और किसी भी कारण से सूचित न हो या यह भेदभाव के दोष से ग्रस्त हो या संविधान के किसी क़ानून या प्रावधानों का उल्लंघन करता हो, तब तक नीतिगत निर्णय को रद्द नहीं किया जा सकता है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अवैधता और असंवैधानिकता के संदर्भ में सार्वजनिक नीति का परीक्षण करने के सीमित उद्देश्य को छोड़कर, अदालतों को "सार्वजनिक नीति के अज्ञात महासागर में उतरने" से बचना चाहिए।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने शेर सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (1995) 6 एससीसी 515 में इस प्रकार टिप्पणी की थी:

"वास्तव में न्यायालय सरकारी नीति के मामलों में हस्तक्षेप करने में धीमे होंगे, सिवाय इसके कि जहां यह दर्शाया गया हो कि निर्णय अनुचित, दुर्भावनापूर्ण या किसी वैधानिक निर्देशों के विपरीत है।"

12. इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाता है कि सत्य देव भगौर एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (सिविल अपील संख्या 1422/2022) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार माना है:-

"22. हम डिवीजन बेंच की उपरोक्त टिप्पणियों से पूरी तरह सहमत हैं। हम पाते हैं कि बोनस अंकों का लाभ केवल उन कर्मचारियों तक सीमित रखने की राजस्थान राज्य की नीति, जिन्होंने राजस्थान राज्य में विभिन्न संगठनों के तहत काम किया है और राजस्थान राज्य में एनएचएम/एनआरएचएम योजनाओं के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को, मनमानी नहीं कही जा सकती है।

13. वर्तमान मामले में, चूंकि नियमों में बोनस अंक देने का प्रावधान नहीं है, इसलिए, वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में बोनस अंक प्रदान न करके राज्य सरकार द्वारा कोई अवैधानिकता नहीं की गई है। इस न्यायालय की राय में, रिट याचिका में कोई दम नहीं है और चिकित्सा अधिकारी (दंत चिकित्सा) के पद के लिए वर्तमान भर्ती में 30% बोनस अंक देने के लिए प्रतिवादियों को कोई मैडमस जारी नहीं किया जा सकता है।

14. इसलिए, रिट याचिका खारिज की जाती है।

15. स्थगन याचिका के साथ-साथ अन्य लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(विनीत कुमार माथुर),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।